जागरण YAHOO! INDIA

दैनिक जागरण e PAPER

पटना, जागरण ब्यूरो : सरकारी सेवक की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। होने वाली परेशानी को महसूस करते हुए सरकार ने समयबद्ध टास्क तय कर दिया है। 25 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों व जिलाधिकारियों को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। क्या है समय सीमा नियुक्ति के लिए निर्धारित फार्मेट में सभी कागजात के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर केंद्रीय-जिला अनुकंपा समिति के विचार के लिए दो माह की समय तय की गई है। केंद्रीय व जिला अनुकंपा समिति की बैठक नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध रहने पर हर तीन माह में होगी। केंद्रीय या जिला अनुकंपा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद अनुशंसित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों आदि की जांच सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति का आदेश जारी करने के लिए अधिकतम एक साल की समय सीमा तय की गयी है। समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर लिखित रूप से कारणों का उल्लेख करते हुए विभाग के सचिव-विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकेगी। केंद्रीय या जिला अनुकंपा समिति द्वारा जिस वर्ग, पद समूह के विरुद्ध नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी नियुक्ति उसी पर होगी। नियुक्ति प्राधिकार को परेशानी होने पर उनके द्वारा सभी तथ्यों के साथ पुन: केंद्रीय या जिला अनुकंपा समिति को दुबारा भेज कर विचार अनुरोध किया जाएगा। अनुकंपा पर नौकरी को तय हुई समय सीमा

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति